



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31032023-244784
CG-DL-E-31032023-244784

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1474]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 31, 2023/चैत्र 10, 1945

No. 1474]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 31, 2023/CHAITRA 10, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2023

सं. 19/2023-सीमा शुल्क (गै.टे.)

का.आ. 1529(अ).—शीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 51 (क) की उपधारा (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवम सीमाशुल्क बोर्ड, इस बात से संतुष्ट होते हुए की ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, एतद द्वारा, अधिसूचना संख्या 19/2022-सीमाशुल्क (गै.टे.), जिसे का.आ. 1512(अ) दिनांक 30 मार्च 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा,-

क) उक्त अधिसूचना में पैरा 1(III) में, 'बनाने के लिए प्रयुक्त', शब्द को अंतस्थापित किया जाएगा;

ख) उक्त अधिसूचना में, पैरा 2 में, '1 अप्रैल 2023', शब्दों के स्थान पर '1 मई 2023', शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

[फा. सं. 442/02/2017-सीमा शुल्क IV(पार्ट)]

अनंत राधाकृष्णन, निदेशक (सीमा शुल्क)

टिप्पणी.—प्रधान अधिसूचना संख्या 19/2022-सीमाशुल्क(गै.टे) दिनांक 30 मार्च, 2022, को का. आ. 1512(अ) दिनांक 30 मार्च, 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड II में प्रकाशित किया गया था और इसमें अधिसूचना संख्या 48/2022-सीमाशुल्क(गै.टे) दिनांक 31 मार्च, 2022 जिसे का. आ. 2494(अ) दिनांक 31 मई, 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड II में प्रकाशित किया गया था और अधिसूचना संख्या 99/2022 -सीमाशुल्क(गै.टे) दिनांक 29 नवंबर, 2022 जिसे का. आ. 5540(अ) दिनांक 29 नवम्बर, 2022 के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड II में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2023

No.19/2023-Customs (N.T.)

S.O. 1529 (E). —In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 51A of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs, on being satisfied that it is necessary and expedient to do so, hereby makes the following further amendments to the notification No.19/2022-Customs (N.T.) dated the 30th March 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide S.O. 1512 (E), dated the 30th March, 2022, namely, -

- a. In the said notification, in para 1(III), after the words, `used for making`, the word `electronic` shall be inserted;
- b. In the said notification, in para 2, for the words, `1st April, 2023`, the words `1st May, 2023` shall be substituted.

[F. No. 442/02/2017-Cus IV(Pt)]

ANANTH RATHAKRISHNAN, Director (Customs).

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), vide notification no. 19/2022–Customs (N.T.), dated the 30th March, 2022, vide number S. O. 1512 (E), dated the 30th March, 2022 and was amended by notification number 48/2022-Customs (N.T.) dated the 31st May, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 2494 (E), dated the 31st May, 2022 and notification number 99/2022-Customs (N.T.) dated the 29th November, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 5540 (E), dated the 29th November, 2022.